



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271744
CG-DL-E-11042026-271744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1771]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

सं. 06/2026-27

विषय: आरओडीटीईपी अनुसूची के परिशिष्ट-4द और परिशिष्ट-4दड में एचएस कोड 73181500 से संबंधित विवरण में संशोधन – के संबंध में।

का.आ. 1840(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के परिशिष्ट-4द और परिशिष्ट-4दड में सुधार के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है।

2. परिशिष्ट-4द और परिशिष्ट-4दड में दर्शाए गए एचएस कोड 73181500 से संबंधित विवरण में संशोधन किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

एचएस कोड	मौजूदा विवरण	संशोधित विवरण
73181500	सेलुलर मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग के लिए स्कू।	अन्य स्कूस एवं बोल्टस, चाहे उनके नट या वाशर के साथ हों या नहीं।

3. यह संशोधन सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अनुसार संबंधित एचएस वर्गीकरण के साथ विवरण को एकरूपता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त संशोधन 15 दिसंबर, 2022 से प्रभावी होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-4द और परिशिष्ट-4दड में एचएस कोड 73181500 से संबंधित विवरण, 15 दिसंबर, 2022 से प्रभावी संबंधित सीमा शुल्क प्रशुल्क विवरण के अनुरूप किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/120/एएम26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2026

No. 06/2026-27

Subject: Amendment in description against HS Code 73181500 in Appendix-4R and Appendix-4RE of the RoDTEP Schedule – reg.

S.O. 1840(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following amendment by way of correction in Appendix-4R and Appendix-4RE of the Handbook of Procedures (HBP) relating to the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme.

2. The description against HS Code 73181500 appearing in Appendix-4R and Appendix-4RE shall be corrected and read as under:

HS Code	Existing Description	Revised Description
73181500	Screw for use in manufacture of cellular mobile phone	Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers

3. This amendment is being carried out to align the description with the corresponding HS classification as per the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

4. The above amendment shall be effective from December 15, 2022.

Effect of this Notification: The description against HS Code 73181500 in Appendix-4R and Appendix-4RE of the HBP is aligned with the corresponding Customs Tariff description, with effect from December 15, 2022.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/94/180/120/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.